(5)

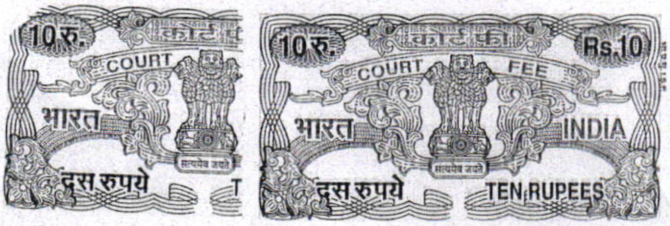

अमित मालवीय आयु बर्ष,   R 7040-PB2-17
पिता श्री रामेश्वर प्रसाद मालवीय
निवासी बनापुरा तहसील सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद ....पुनरीक्षणकर्ता

वनाम

1.मध्य प्रदेश शासन व्दारा
उप पंजीयक होशंगाबाद
2. कृषि उपज मंडी वनापुरा
तह. सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद ....अनावेदकगण

पुनरीक्षण चाचिका धारा 56 भारतीय स्टाम्प अधीनयम

पुनरीक्षणकर्ता निवेदन करता है:-

पुनरीक्षणकर्ता के व्दारा यह पुर्नरीक्षण याचिका प्रकरण क्रमांक 59बी/103/14-15 जिसके पक्षकार मध्य प्रदेश शासन व्दारा उप पंजीयक सिवनी मालवा वनाम सचिव कृषि उपजमंडी व अमित वल्द रामेश्वर प्रसाद मालवीय मे कलेक्टर आफ स्टाम्प होशंगाबाद के व्दारा पारित आदेश के विरूद्ध निम्न तथ्यो एवं वैधानिक अधारो पर पेश की जाती है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 7040–पीबीआर / 17 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–7–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 1–3–2017 को लगभग 5 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के संबंध में जो कारण दर्शाये गये हैं, वह समाधान कारक नहीं है । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया है । अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	